रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122021-231869 CG-DL-E-15122021-231869

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646] No. 646] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 2021/अग्रहायण 23, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2021/AGRAHAYANA 23, 1943

### केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2021

- फा. सं. जे-25/14/2020-सीपीयू (सीसीपीए).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 104 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (अन्वेषण खंड द्वारा जांच या अन्वेषण का प्रस्तुतिकरण) विनियम, 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं:- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) 'अधिनियम' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;
  - (ख) 'केंद्रीय प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 10 के अधीन स्थापित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

7273 GI/2021 (1)

- (ग) 'अन्वेषण खंड' से अधिनियम की धारा 15 के उप-धारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय प्राधिकरण का अन्वेषण खंड अभिप्रेत है; और
- (घ) 'सचिव' से मुख्य आयुक्त द्वारा इस निमित्त नामित केन्द्रीय प्राधिकरण का वरिष्ठ अधिकारी अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं और अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, के वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में दिए गए हैं।
- 3. प्रथम दृष्टया मामले की स्थिति के संबंध में राय (1) सचिव, अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में यथानिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार से कोई सूचना, शिकायत, या निर्देश प्राप्त करने के पश्चात्, या प्रथम दृष्टया मामले की स्थिति के संबंध में अपनी राय बनाने के लिए इसे केंद्रीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है या करवा सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय प्राधिकरण, जहां तक संभव हो, पंद्रह दिनों के भीतर *प्रथम* दृष्टया मामले की स्थित के संबंध में अपनी राय लेखबद्ध करेगा।
- 4. प्रारंभिक जांच (1) केंद्रीय प्राधिकरण, यदि वह आवश्यक समझे, प्रारंभिक जांच कर सकता है या करवा सकता है कि क्या धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन *प्रथम दृष्ट्या* मामला बनता है।
- (2) केंद्रीय प्राधिकरण प्रारंभिक जांच के लिए आवश्यक पड़ने पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी जानकारी के लिए बुला सकता है या आमंत्रित कर सकता है।
  - (3) प्रारंभिक जांच के लिए प्रक्रिया के औपचारिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
- 5. प्रथम दृष्टया मामले में अन्वेषण कराने के निर्देश जारी करना (1) जहां केंद्रीय प्राधिकरण की राय है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, सचिव, केंद्रीय प्राधिकरण का आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मामले के अन्वेषण के लिए महानिदेशक को केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों से अवगत कराएगा।
- (2) जहां केंद्रीय प्राधिकरण की राय है कि ऐसे मामले को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित किसी विनियामक द्वारा निपटाया जाना है, सचिव, प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट के साथ ऐसे मामले को संबंधित विनियामक को अग्रेषित करेगा और इस प्रकार किए गए अग्रेषण के कारणों को लिखित रूप में लेखबद्ध किया जाना है और मामले को केंद्रीय प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए बंद माना जाएगा।
- (3) उप-विनियम (1) के अधीन महानिदेशक को जांच के निर्देश को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन जांच की शुरुआत माना जाएगा।
- 6. प्रथम दृष्टया कोई मामला न पाए जाने पर आदेश का संप्रेषण यदि केन्द्रीय प्राधिकरण की यह राय है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है, तो सचिव मामले को तत्काल बंद करने के संबंध में केंद्रीय सरकार या मामले में जानकारी प्रदान करने वाले या शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को केन्द्रीय प्राधिकरण के आदेश की एक प्रति भेजेगा।
- 7. महानिदेशक द्वारा अन्वेषण (1) सचिव, महानिदेशक को विनियम 5 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के निर्देशों से अवगत कराते हुए निम्नलिखित जानकारी भेजेगा:
  - (क) सूचना, शिकायत या निर्देश, जैसा भी मामला हो की एक प्रति;
  - (ख) अन्य सभी दस्तावेज या सामग्री या शपथपत्र या बयान जो या तो उक्त जानकारी, शिकायत, या निर्देश के साथ या प्रारंभिक जांच के समय दायर किए गए हैं; तथा
  - (ग) प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट की एक प्रति।

- (2) केंद्रीय प्राधिकरण महानिदेशक को उसके द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर ऐसे समय, जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जो सामान्यतः केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों से अधिक नहीं होगा, के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।
- (3) केंद्रीय प्राधिकरण, पर्याप्त कारणों का उल्लेख करते हुए महानिदेशक द्वारा दिए गए आवेदन पर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय को ऐसी अवधि तक बढ़ा सकता है, जो वह उचित समझे।
- (4) महानिदेशक की रिपोर्ट में जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी साक्ष्यों या दस्तावेजों या कथनों या विश्लेषणों के साथ सूचना, शिकायत या निर्देश, जैसा भी मामला हो, में लगाए गए प्रत्येक आरोप पर उसके निष्कर्ष सम्मिलित होंगे:

परंतु आवश्यकता पड़ने पर, महानिदेशक, गोपनीयता बनाए रखने के लिए, अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत कर सकता है, जिनमें से एक भाग में वे दस्तावेज होंगे जिन तक केंद्रीय सरकार या सूचना प्रदान करन वाले या शिकायत दायर करने वाले व्यक्ति को पहुंच दी जा सकती है और दूसरा भाग, जिसमें गोपनीय और व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी और दस्तावेज होगी, जिस तक पहुंच हो आंशिक या पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(5) महानिदेशक की रिपोर्ट की दो प्रतियां, दस्तावेज़ प्रारूप में एक सॉफ्ट कॉपी के साथ, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सचिव को अग्रेषित की जाएंगी:

परंतु सचिव आवश्यकता पड़ने पर रिपोर्ट की और प्रतियों की मांग कर सकता है।

(6) यदि, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, केंद्रीय प्राधिकरण की यह राय है कि अतिरिक्त अन्वेषण की आवश्यकता है, तो वह महानिदेशक को अतिरिक्त अन्वेषण करने और विशिष्ट मुद्दों पर ऐसे समय के भीतर, जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, परंतु जो पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होगा, एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

अनुपम मिश्रा, आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./508/2021-22]

# THE CENTRAL CONSUMER PROTECTION AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2021

- **F. No. J-25/14/2020-CPU (CCPA).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 15 and read with clause (c) of sub-section (2) of section 104 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following regulations, namely:---
- 1. Short title and commencement. (1) These regulations shall be called the Central Consumer Protection Authority (Submission of Inquiry or Investigation by the Investigation Wing) Regulations, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires.-
  - (a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);
  - (b) 'Central Authority' means the Central Consumer Protection Authority established under section 10 of the Act;
  - (c) 'Investigation Wing' means the Investigation Wing of the Central Authority as referred to in sub-section(1) of section15 of the Act; and
  - (d) 'Secretary' means the senior officer of the Central Authority nominated as such by the Chief Commissioner.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations and defined in the Act shall have the meanings assigned respectively to them under that Act.
- 3. Opinion on existence of prima facie case.- (1) The Secretary, after receiving any information, complaint, or direction from the Central Government, as referred to under sub-section (1) of section 19 of the Act, may place or

cause to be placed the same before the Central Authority to form its opinion on the existence of a prima facie case.

- (2) For the purpose of sub-regulation (1), the Central Authority shall, as far as possible, record its opinion on the existence of a *prima facie* case within fifteen days.
- **4. Preliminary inquiry. -** (1) The Central Authority may, if it deems necessary, conduct or cause to be conducted a preliminary inquiry as to whether there exists a prima facie case as under sub-section (1) of section 19.
- (2) The Central Authority may call for any information or invite any person as may be necessary for the preliminary inquiry.
  - (3) A preliminary inquiry need not follow formal rules of procedure.
- **5. Issue of direction to cause investigation on prima facie case. -** (1) Where the Central Authority is of the opinion that a *prima facie* case exists, the Secretary shall convey the directions of the Central Authority within seven days of the receipt of the order of the Central Authority to the Director General to investigate the matter.
- (2) Where the Central Authority is of the opinion that such matter is to be dealt with by a Regulator established under any other law for the time being in force, the Secretary shall refer such matter to the concerned Regulator along with the report of the preliminary inquiry and the reasons for such referral are to be recorded in writing and the matter shall be considered to be closed for the purposes of the Central Authority.
- (3) A direction of investigation to the Director General under sub-regulation (1) shall be deemed to be the commencement of an investigation under sub-section (1) of section 19 of the Act.
- **6.** Communication of order when no *prima facie case* found. If the Central Authority is of the opinion that there is no *prima facie* case, the Secretary shall send a copy of the order of the Central Authority regarding closure of the matter forthwith to the Central Government or the person who provided information or filed a complaint in the matter, as the case may be.
- 7. **Investigation by the Director General.** (1) The Secretary while conveying the directions of the Central Authority under regulation 5, shall send to the Director General:-
  - (a) a copy of the information, complaint, or direction, as the case may be;
  - (b) all other documents or materials or affidavits or statements which have been filed either along with the said information, complaint, or direction or at the time of the preliminary inquiry; and
  - (c) a copy of the report of the preliminary inquiry.
- (2) The Central Authority shall direct the Director General to submit a report on the basis of the investigation conducted by him within such time as may be specified by the Central Authority which ordinarily shall not exceedthirty days from the date of receipt of the directions of the Central Authority.
- (3) The Central Authority may, on an application by the Director General giving sufficient reasons, extend the time for submission of the report within such period as it may consider reasonable.
- (4) The report of the Director General shall contain his findings on each of the allegations made in the information, complaint or direction, as the case may be, together with all evidence or documents or statement or analyse collected during the investigation:

Provided that when necessary, the Director General may, for maintaining confidentiality, submit his report in two parts, one of which shall contain the documents to which access may be accorded to the Central Government or the person who provided information or filed a complaint in the matter, and the other part, which shall contain confidential and commercially sensitive information and documents to which access may be partially or totally restricted.

(5) Two copies of the report of the Director General, along with a soft copy in document format, shall be forwarded to the Secretary within the time specified by the Central Authority:

Provided that the Secretary may ask for more copies of the report as and when required.

(6) If the Central Authority, upon consideration of the report, is of the opinion that further investigation is called for, it may direct the Director General to make further investigation and submit a supplementary report on specific issues within such time as may be specified by the Central Authority, but not later than forty-five days.

ANUPAM MISHRA, Commissioner [ADVT.-III/4/Exty./508/2021-22]